International Journal of Engineering Applied Science and Management
ISSN (Online): 2582-6948
Vol. 5 Issue 10, October 2024

पंचायत राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता व सक्रियता

जयश्री भेजनलाल बघेले [1], डॉ. रफ़अत अफ़रोज़ खान[2]
रिसर्च स्कॉलर, श्री सत्य साई विश्वविद्यालय, सीहोर[1]
अनुसंधान पर्यवेक्षक, श्री सत्य साई विश्वविद्यालय, सीहोर[2]

प्रस्तावना

स्वतंत्रता मिलने के साथ ही लोकतंत्रीय राज्य में जनता को उसके अपने कल्याण कार्य में सहभागी बनाने की पद्धति पर विचार किया जाना आवश्यक था। वयस्क मताधिकार से राज्यों को विधानमण्डलों तथा भारत की संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने के काम में जनता साझीदार बनी। परंतु केवल यही एक कारक कल्याणकारी राज्य की बुनियादी समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं था। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची का सूची 2 राज्य सूची में 5वाँ विषय पंचायती राज से संबंधित है जो कि इस प्रकार है:

"स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ"।

संविधान की धारा 40 जिसमें ग्राम – शासन की बात निम्न प्रकार से स्पष्ट की गई है –

"राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की ईकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।"

यह धारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर आधारित त्रि–स्तरीय पंचायत राज को स्थापित करने की अनुशंसा की। ये त्रि–स्तर हैं – ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा शीर्ष स्तर पर जिला परिषद्। साथ ही इस त्रि–स्तरीय पंचायती राज की सफलता के लिए तीन बिंदुओं को आवश्यक माना – सत्ता का विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकृत इकाईयों को विकास के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करना एवं कर्त्तव्य की समझ तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था।

जी.बी.के. राव समिति (1985) ने योजना आयोग के परामर्श से अपना प्रतिवेदन तैयार किया।

इसमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक साहसिक योजना प्रस्तुत की गई। समिति का मत था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी केवल सरकारी मशीनरी पर नहीं थोपनी चाहिए।

यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों व उनके प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जाये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिले को नीति–नियोजन व कार्यक्रम क्रियान्वयन की आधारभूत इकाई बनाया जाये। समिति द्वारा पहली बार विविध स्तरों पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की थी। राव समिति की रिपोर्ट के एक वर्ष बाद एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में पंचायती राज संबंधी प्रपत्र तैयार करने के लिए समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर, 1986 को प्रस्तुत की। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी समिति ने पहली बार पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस समिति का दृष्टिकोण था कि पंचायतों को एक ऐसे समग्र संस्थागत ढांचे के रूप में संगठित किया जाना चाहिए जिसका आधार नीचे से ऊपर की और उन्मुख लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हो। इन स्वशासन की संस्थाओं के

माध्यम से इनका उद्देयविकेन्द्रीकृत शासन, योजना तथा विकास की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता था। 1988 में पी.के.थुंगन की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति ने पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

इसके उपरांत ही मई, 1989 में संशोधन (64वां संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया गया। 25 मई 1989 को 64 वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव, वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण जैसे वे सभी प्रावधान थे जो व्यापक विचार–विमर्श के दौरान सामने आये 64वां संविधान संशोधन विधेयक राजनीति का शिकार हो गया और लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में वह पारित न हो सका और इस प्रकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रगति का रथ कुछ समय के लिए रूक गया। 1991 में कांग्रेस के द ुबारा सत्ता में आने पर मंत्री–स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 16 सितम्बर, 1991 को संविधान (73वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया जो 22 दिसंबर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल, 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला।

73वें संविधान संशोधन में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नसंख्या के हिसाब से पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है जबकि कुल एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ग्यारहवीं अन ुसूची (अनुच्छेद 243छ) में जो कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गये है उनमें परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास भी भामिल है।

अध्ययन का उद्देय

- पंचायत राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की सहभागिता व सक्रियता का अध्ययन
- पंचायती राज संस्थाओ के कार्यो व अधिकारो के संदर्भ में महिला नेतृत्व का अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र इस अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति भारतीय राज्यों के स्तर पर होने के कारण आर्दाचयन में उचित प्रतिनिधित्व का प्रन प्रमुख था। अध्ययन क्षेत्र का चयन चार स्तरों पर किया गया है। प्रथम स्तर पर राज्य के चयन के मुख्यतर्काधार में दो बातें रहीं पहली, वे राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था प्रभावी एवं सक्रिय हो एवं दूसरी हिंदी भाशी राज्य। उक्त आधार पर अध्ययन क्षेत्र के लिए पाँच हिंदी भाशी राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और बिहार का चयन किया गया है। इस प्रकार हिंदी भाशी एवं प्रभावी सक्रिय पंचायती राज के चयन के उपरांत, इन राज्यों से जिलों का चयन एक मुख्य कार्य था। द्वितीय स्तर पर प्रत्येक राज्य से एक जिले का चयन किया गया।

जिलों के चयन के पीछे निम्न कारण प्रमुख रहें –

- राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीपस्थ – गाजियाबाद
- आदिवासी बहुल पंचायत क्षेत्र – दौसा
- विशम लिंगानुपात पंचायत क्षेत्र – झज्झर
- संवैधानिक उपबंधो की पृश्ठभूमि का क्षेत्र – ग्वालियर
- सक्रिय जनआंदोलन एवं भागीदारी वाला क्षेत्र – भोजपुर

साथ–साथ ही उक्त जिलों के चयन में सोउद्देश्य पूर्ण रीति भी प्रमुख रही है। तृतीय स्तर पर कार्य संबंधित जिलों से ब्लॉक का चयन करना रहा। इस हेतु भोधार्थी ने जिला स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों एंव पंचायत राज अधिकारियों से गहन विचार विमर्श कर प्रत्येक जिले में दो ब्लॉक का चयन किया। ब्लॉक के चयन का आधार प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं में विकास खण्डों की भूमिका को बनाया गया है।

प्रस्तुत कार्य हेतु ग्रामों का चयन भोध कार्य के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में किया गया जिससे पंचायती राज की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका को समझा जा सके। साथ–साथ यह भी जानना महत्वपूर्ण था कि वे कौन से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कारण है जो इस दिशा में भूमिका निभा पाते हैं अथवा नहीं निभा पातें। इस आधार पर भोधार्थी ने प्रत्येक

International Journal of Engineering Applied Science and Management
ISSN (Online): 2582-6948
Vol. 5 Issue 10, October 2024

ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों काचयन किया। इसमें एक गाँव के विकास में बेहतर निश्पादन कर रही है तो दूसरी औसत से कम निश्पादन कर रही है। उक्त उद्देश्यों की पृश्ठभूमि मे ं पंचायती राज एवं भौक्षिक विकेंद्रीकरण को बेहतर रुप से समझा जा सकता है। इन आधारों के लिए शोधार्थी द्वारा बनाए गए मापकों का रुप निम्नलिखित प्रकार से है–

बेहतर भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – पुरस्कृत ग्राम पंचायत, बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कें) से युक्त ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत, आदिवासी बहुल क्षेत्र मुख्य मापक रहे हैं।

औसत भागीदारी वाली ग्राम पंचायत के लिए – ग्राम पंचायत क्षेत्र में औसत से कम बुनियादी सुविधाएँ, ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति उदासीन, विद्यालयों में न्यून नामांकन स्थिति, सरकारी विद्यालयों में स्कूल छोड़ने की दर की प्रधानता मुख्य मापक रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का विवरण

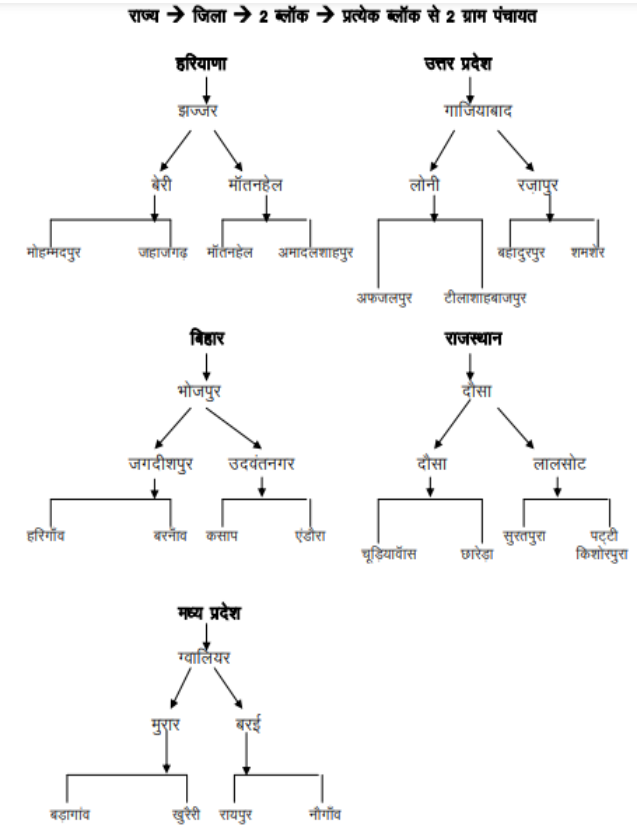

सुझाव एवं निश्कर्श

महिलाओं के लिए उचित व मानकीकृत प्रशिक्षण– पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के साक्त नेतृत्व के लिए जरूरी है कि विभिन्न ग्रामीण विकास संस्थान ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर मानकीकृत प्राक्षिण मॉडयूल बनाये। ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और भौक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्हें प्राक्षित किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय व सफल महिला पंच व संरपंचों के द्वारा भी प्राक्षिण दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण महिलाओं की सुविधान ुसार होना चाहिए जिसे वे आसानी से कर सकें। प्राक्षिण में मॉडल पंचायतों का मैदानी दौरा भी करवाना चाहिए जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव हो सकें, इस तरह प्राक्षिण को अनुभवात्मक स्वरूप देना जरूरी है। महिलाओं के प्राक्षिण समय समय पर होना चाहिए जैसे पंच सरपंच बनते ही ओर साल में कम से कम एक प्राक्षिण जरूर होना चाहिए जिससे निरंतरता बनी रहें। हर स्तर के प्राक्षिण का स्वरूप और विशयवस्तु अलग होनी चाहिए ओर उसमें एक जुड़ाव भी रहना चाहिए। प्राक्षिण का स्वरूप वीडियो, ऑडियो, लिखित व मौखिक स्वरूप का भी होना चाहिए।

शिक्षित महिला साक्त नेतृत्व–

यदि महिलाएं ग्रामीण विकास की धारा में भागीदार बनें तो उनका शिक्षित एवं जागरूक होना आवश्यक है। ग्रामीणों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है जिससे आने वाली ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व की पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता शिक्षा के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है।

ग्रामीण योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता और जानकारी न होना ग्रामीण विकास में महिलाओं के योगदान में रूकावट पैदा करता है। प्रशासन के द्वारा महिलाओं कों आधी अधूरी जानकारी दी जाती है और उन्हें प्रशासनिक नियम कानूनों में उलझा दिया जाता है। इसलिए स्वयं नेतृत्व और खुद की सोच के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक हो जाता है। महिलाओं

की सक्रिय भागीदारी के लिए साक्षरता का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं पर आ जाता है उन्हें साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का दर्जा देना होगा। एक पंचायत में शिक्षा प्रसार समिति बनाई जानी चाहिए जो कार्य विभाजन, पाठ्य सामग्री, वाचनालय इत्यादि का कार्य करे। काम करने वाले लोगों के लिए रात्रि पाठशाला का आयोजन अत्यंत आवश्यक है।

महिला संरपच छवि राजावत ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने कि साथ ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। आमतौर पर लोग सरकारी नौकरी को ही तवज्जों देते हैं, लेकिन महिलाओं को इससे कुछ अलग सोचना होगा। वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने के बजाय कुछ ऐसा करें जो मिसाल बन सकें। हमारे देश में स्वयंसहायता समूहों को विशेश तवज्जो मिल रहा है। समूह बनाकर अपना कारोबार भुरू किया जा सकता है। तमाम लोगों ने समूह के जरिए नई इबारत लिखी है। वे हमारे लिए उदाहरण हैं। हमें सीख लेनी चाहिए और ग्रुप के जरिए अपना रोजगार भुरू करना चाहिए।

सामाजिक जारूकता –

महिलाओं के सशक्त नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि समाज महिलाओं के लिए जागरूक हो। पुरूशों के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकारना जरूरी है इसके लिए सरकार ग्रामीण समाज में विभिन्न मीडिया के संसाधानों के द्वारा जागरूकता फैलायें। महिलाओं के नाम पर पति, ससुर, बेटा और पोता इत्यादि के द्वारा पंचायतों में प्रतिनिधित्व व कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को अभी भी नाम मात्र के लिए चुनाव लड़ाकर वास्तविक रूप से उनके पदों का प्रयोग व कार्यान्वयन पुरूशों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए सरकार को महिलाओं को भी जागरूक बना कर तैयार करना होगा कि वे अपने पदों व भाक्तियों का स्वयं इस्तेमाल कें। पुरूशों को भी जागरूक करना होगा कि वे महिलाओं को ग्रामीण विकास में कार्य करनें दें व उनकों प्रोत्साहित करें। प्रशासनिक व पंचायती राज अधिकारियों को निणर्य में केवल महिलाओं की ही भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए पुरूशों को बिल्कुल इस तरह की गतिविधियों से दूर रखना चाहिए।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को शामिल करना –

विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को भामिल करना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी महिलाओं की भूमिका को जान कर भविश्य में समाज के अंदर उसे अपना सकते है। बालक–बालिका दोनों ही अपने आस पड़ोस और ग्रामीण समाज में महिला नेतृत्व के महत्व व समझ को बता सकतें है जिससे घर परिवार और ग्रामीण समुदाय में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन के बाद लड़कियाँ पंचायती राज संस्थानों में नेतृत्व के लिए तैयार हो सकती है और लड़कें भी अध्ययन के बाद महिलाओं के ग्रामीण विकास में योगदान को समझ कर प्रोत्साहित कर सकते है। इस तरह राजनीति विज्ञान, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, महिला अध्ययन व विकास अध्ययन इत्यादि अनु ाासनों के पाठ्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को भामिल करके दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं पर भोध व सर्वेक्षण को बढ़ावा देना –

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर समय समय पर भोध व सर्वेक्षण होना चाहिए। भोध व सर्वेक्षण क्षेत्र, राज्य व गाँव के स्तर पर होना चाहिए ताकि ज़मीनी वास्तविकताओं से रूबरू होकर हर गाँव के स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकें। भोध में महिलाओं से ऑकड़े प्राप्त करना कठिन कार्य है इसलिए वास्तविक ऑकड़ों की प्राप्ति के लिए सरकारी तौर पर प्रयास होने चाहिए। लड़कियों के द्वारा भी भोध कार्य किया जा सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियाँ आसानी से ऑकड़े प्राप्त कर सकती है।

समस्या आधारित भोध कार्य भी किया जा सकता है जिससे समस्याओं के समाधान प्राप्त हो सकें।

अनुभव, भागीदारी व जातिवृतात्मक भाोध पद्वतियाँ इस क्षेत्र में कारगर साबित होगीं। एन.जी.ओ, ग्रामीण भाोध संस्थान और विश्वविद्यालयों को पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका पर भाोध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना – गाँव की महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। ज्यादातर जातियों में महिलाएँ पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हैं यदि महिलाएँ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तो केसे अपनी भूमिका पंचायतों में प्रभावी रूप में निभा पायेंगी। कृशि व खेती बाड़ी के आधार पर जो भी कमाई होती है उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहता है लेकिन महिलाओ ं का घर की संपत्ति में ना के बराबर अधिकार होता है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के खर्चे धन व संपत्ति के मामलों में महिलाओं पर वि वास नहीं किया जाता है और इस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण रहता है कि इस तरह के कार्य केवल पुरुश वर्ग ही कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के काम काज की प्रणाली में भी यही मानसिकता काम करती है कि महिलाएं आर्थिक आधार के कार्य नहीं कर सकती है। इस तरह हमें इस तरह का सकारात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा कि समाज महिलाओं पर वि वास करके उनको आर्थिक आधार पर सशक्त बनायें।

कल्याणकारी व सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना–

पंचायती राज संस्थाओं मे ं केंद्र व राज्य स्तर की योजनाएं व कार्यक्रम के कार्यान्वन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और ग्रामीण महिलाओं और पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यों को इनका अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कुछ योजनाएं इस तरह की होनी चाहिए जैसे कि पीने के पानी का प्रबंध, सफाई की व्यवस्था, दहेज प्रथा व नशाबंदी, लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध इत्यादि को केवल महिलाओं को सौंप देना चाहिए जिससे समाज में एक तरह का संदेश भी जायेगा और महिलाओं को अपने आप पर विश्वास भी होगा। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए जाऐं कि वे महिलाओं की हर तरह के ग्रामीण प्रशासन में भागीदारी को बढ़ावा दें ओर प्रोत्साहित करें। स्थानीय समस्याओं की जानकारी व समझ महिलाओं को होती है एवं उनके समाधान के उचित उपाय भी वे ही अच्छी तरह कर सकते हैं। अधिक से अधिक महिलाओं का जुड़ाव ग्रामीण स्तर के हर स्तर पर जरूरी है क्योंकि ग्रामीण समस्याओं का समाधान सहभागिता में ही छुपा है। इसलिए हमें सहभागिता की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए।

ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज महिला सदस्यों के प्रति विश्वासपरक माहौल बनाना –

पंचायती राज से जुड़े हुए ग्रामीण प्रशासन को महिलाओं की हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहना चाहिए। पंचायती राज महिला सदस्यों द्वारा उठाई गई हर तरह की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को तैयार रहना है क्योंकि इससे महिला प्रतिनिधियों का हौंसला बढ़ेगा ओर वे आगे काम करने के लिए अभिप्रेरित होगीं। पुरूश पंचायती राज सदस्यों की महिला नेतृत्व के अंदर काम करने के लिए प्रशासन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और पुरूशों की दखलअंदाजी को प्रशासनिक तौर पर रोकना होगा ताकि महिला सदस्यों के द्वारा वास्तविक तौर पर पंचायती राज में सहभागी बनाया जाए।

ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना– ग्राम सभा लोकतांत्रिक व प्रत्यक्ष विकेंद्रीकरण का प्रथम सोपान है। ग्राम सभा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना चाहिए। इसकी नियमित बैठक होनी चाहिए और इसमें ग्रामीण विकास समेत सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे महिलाओं की रुचि बढ़ेगी तथा ग्राम सभा सामाजिक रूप से मजबूत बनेगी। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभा के महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए जिससे वे ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सकती हैं।

गाँवों का सर्वांगीण विकास जरूरी है– पंचायतों को ग्रामीण विकास के सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर भी ध्यान देना होगा जिससे विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बन सकता है। चयनित गाँवों में पीने के पानी की समस्या थी इसलिए गाँव की महिलाएँ सुबह दूर कुँओं से पानी लाने में व्यस्त रहती थीं

जिससे विद्यार्थी स्कूल देर से पहुँचते थे। बिजली की समस्या से भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गाँव में बिजली की समस्या और पीने के पानी की समस्या हल होने पर भी विद्यालयों में पढ़ाई पर अच्छा असर देखा जा सकता है। इसलिए पंचायतों को चारों तरफ सक्रिय रूप से कार्य करना होगा विशेशतः बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में।

सरकार को गाँवों के सामाजिक भौक्षिक विकास के साथ– साथ आर्थिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है जिससे वे स्थानीय संस्थाओं में भागमिल हो सकें।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक अच्छी अनुवीक्षण व्यवस्था का विकास किया जाए –

विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यक है कि एक अच्छी अनुवीक्षण व्यवस्था का विकास किया जाए। समुदाय आधारित अनुवीक्षण व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण व आंकलन और निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा भी सरकार को विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का मूल्यांकन व अनुवीक्षण करवाते रहना चाहिए। चयनित स्थानीय सरकार, नागरिक दोनों के उत्तरदायित्व के लिए आव यक है कि लेखा, लेखापरीक्षण की अच्छी व्यवस्था विकसित की जाये जिससे संसाधनों के प्रयोग करने की सूचना पर विश्वास हो। इस तरह की व्यवस्था से महिलाओं की उचित व संवैधानिक भूमिका ग्रामीण विकास में संभव हो सकती है।

पुरूशों का पंचायती राज स ंस्थाओं में सदस्यों का अना यक रूप से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए–

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। महिला नेतृत्व की जगह पुरूशों का अनावश्यक हस्तक्षेप पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण विकास में कोई भी रूकावट नहीं आये। पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय अभिजन ने भी नियंत्रण कर लिया है जो कि विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देता है।

निश्कर्श

विभिन्न रिपोर्टों व ऑकड़ों के अध्ययन को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत में 73वें संशोधन के द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व से सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को बल मिला है। 73वें संविधान सांोधन की व्यवस्थाओं के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है जो कि अब पचास प्रतिशत तक आरक्षित हो गए है। 73वें संशोधन का प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि पर्दे की ओट में सिमटी महिलाओं को अब बाहर आना पड़ा जिससे पंचायती राज में महिलाओं की सतर्क भागीदारी बढ़ी। अनेक कमियों और दुर्बलताओं के बावजूद पंचायती राज ग्रामवासियों की जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। इस तरह निश्कर्शतः कहा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन से महिलाओ ं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ी है। लेकिन सक्रिय भागीदारी के लिए अभी हमें, भौक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होगा।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के अधिकार की अवधारणा, जन जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला स ाक्तिरण, जनसंख्या नियन्त्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा प्र ाासन में जनसहभागिता ज ैसे कारकों को बल मिला है।

संदर्भ

- Desai, Vasant (1990). Panchayati Raj: Power to the people. Bombay: Himalayan Punlishing House.
- Kaushik, Susheela (1993). Women and Panchayati Raj. New Delhi: Har-Anand publications
- जैन, प्रकाश (1993), भपंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, कुरुक्षेत्र, नवम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- सिंह, अशोक कुमार (1994), भग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम, योजना, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ईस्टर्न बुक कम्पनी (1997), भभारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ। कुंवर, नीलिमा
- मिश्रा, स्वेता (1997), भपंचायती राज स ंस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता, कुरुक्षेत्र, मई, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कनोजिया, सीमा (1998), भपंचायती राज में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका, कुरुक्षेत्र, सितम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- पाँडा, स्नेहलता (1998), भपंचायतों में महिलाओं की भूमिका, योजना, अक्टूबर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

- सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (1998), भलोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और महिलाओं का सशक्तिकरण, कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- भारण, श्रीवल्लभ (1998), भपंचायतों में महिलाएँः जरूरत है सक्रिय भूमिका की , कुरुक्षेत्र, अप्रैल, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कौर, सिमरन (1999), भग्रामीण महिलाओं में साक्षरता, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- चोपड़ा, डॉ सरोज (2000), भस्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- सिहं, वी.एन. (2000), भग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
- सेठ, भामता (2000), भपंचायती राज, हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2000), भपंचायत राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
- महीपाल (2000), भमहिलाएँ और ग्राम सभा, कुरुक्षेत्र, अगस्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- Pinto, Ambrose, & Reifeld, Helmut (2001). Women in Panchayati Raj. New Delhi: Indian Social Institute.
- Dhaka, Sunita, & Dhaka, Rajbir S. (2005). Behind the Veil: Dalit Women in Panchayati Raj. Delhi: Eastern Book Corporation.
- Srivastava, Alka (2006). A Long Journey Ahead, (Women in Panchayati Raj), A Study in Rajasthan. New Delhi: Indian Social Institute.
- कोडान, आनन्द सिंह, एवं अन्य (2010), भप ंचायती राज आ ैर महिला स ाक्तिकरण , कुरूक्षेत्र, जून, प्रका ान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- त्रिवेदी, डॉ. रश्मि एवं रानी डॉ अनीता (2010), भपंचायत राज व्यवस्था में उभरता महिला नेतृत्व, अनु बुक्स, मेरठ।
- भार्मा, रविन्द्र कुमार (2010), भसामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्ध महिला सरपंच , कुरूक्षेत्र, जून, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।